



भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक स. 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

Government of India,
Min. of Personnel, Public Grievances &
Pensions,
Dept. of Training and Personnel,
Staff Selection Commission
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110003

[आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) पर दिनांक 20.07.2022 को अपलोड किए जाने हेतु]

विज्ञप्ति

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक परीक्षा, 2022

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि	20.07.2022 से 04.08.2022
आवेदन प्राप्त के लिए अंतिम तिथि और समय	04.08.2022 (2300 बजे)
ऑफलाइन चालान तैयार करने के लिए अंतिम तिथि एवं समय	04.08.2022 (2300 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि समय	05.08.2022 (2300 बजे)
चालान के माध्यम से शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि (बैंक के कार्य समय के दौरान)	05.08.2022
'आवेदनपत्र में संशोधन करने हेतु विंडो' और सुधार शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की तिथि	06.08.2022 (2300 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम	अक्टूबर, 2022

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित होता है तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

फा.सं.मु.- नी.व.यो.-1103(4)/1/2022-नी.व.यो.-11:- कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / संगठनों के लिए कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के समूह 'ख' अराजपत्रित पदों की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा। विभिन्न पदों के ब्योरे निम्नानुसार है:

कोड	पद का नाम	वेतनमान
ए	केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (के.स.रा.भा.से.) में कनिष्ठ अनुवादक	लेवल-6 (35400-112400/- रुपए)
बी	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में कनिष्ठ अनुवादक	लेवल-6 (35400-112400/- रुपए)
सी	सशस्त्र सेना मुख्यालय (स.से.मु) में कनिष्ठ अनुवादक	लेवल-6 (35400-112400/- रुपए)

डी	उन अधीनस्थ कार्यालयों में कनिष्ठ अनुवादक / कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक जिन्होंने कनिष्ठ अनुवादक / कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निदर्श भर्ती नियमों को स्वीकार किया है ।	लेवल-6 (35400-112400/- रुपए)
ई	केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	लेवल-7 (44900-142400/- रुपए)

2.रिक्तियां: रिक्तियों की संख्या यथा समय निर्धारित की जाएंगी। रिक्तियों की अद्यतित संख्या समय-समय पर आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in> >Candidate's Corner > Tentative Vacancy) पर अपलोड की जाएंगी ।

3. आरक्षण :

- 3.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव)/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन (दि.जन) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों द्वारा निर्धारित और सूचित किया जाएगा ।
- 3.2 आयोग विभिन्न पदों के लिए संबंधित प्रयोक्ता विभागों द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करता है। किसी भी प्रयोक्ता विभाग की रिक्तियों की संख्या तय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। आरक्षण नीति को लागू करना, आरक्षण रोस्टर का रख-रखाव करना और विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण करना प्रयोक्ता विभागों के कार्यक्षेत्र में आता है।

4. दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए अनुमेय विकलांगता:

- 4.1 सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को छोड़कर, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडीIII, दिनांक 04.01.2021 के अनुसार पदों को निम्नलिखित दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त पाया गया है:

क्रमांक	पद नाम	कार्यात्मक आवश्यकता	बैचमार्क दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणी
1	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	बै, खड़े, चल, झु, प.लि., दे, सु, सं	क) ने.ही, अ.द ख) ब. , श्र.दि. ग) ए.हा., ए.पै., दो.पै., ए.हा.ए.पै., प्र.प., बौ., ए.ह.पी घ) ऑ.स्पे.वि., वि.अ.अक्ष, मा.रो. ड) ब.दि. जिसमें उपरोक्त (क) से (घ) शामिल हैं

2	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक/ कनिष्ठ अनुवादक	बै, खड़े, चल, झु, प.लि., दे, सु, सं	क) ने.ही, अ.द ख) ब. , श्र.दि. ग) ए.हा., ए.पै., दो.पै., ए.हा.ए.पै., प्र.प., अ.कु., बौ., ए.ह.पी, मा.दु. घ) ऑ.स्पे.वि.(ह), वि.अ.अ., मा.रो. ड) ब.दि. जिसमें उपरोक्त (क) से (घ) शामिल हैं
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--

प्रयुक्त संक्षिप्त नाम:

कार्यात्मक आवश्यकता: बै = बैठना, खड़े = खड़ा होना, चल = चलना, झु = झुकना, प.लि = पढ़ना और लिखना, दे. = देखना, सु. = सुनना, सं = संचार

शारीरिक अक्षमताओं की प्रकृति: ने.ही = नेत्रहीन, अ.द = अल्प दृष्टि, ब.= बधिर, श्र.दि. = श्रवण दिव्यांग, ए.हा = एक हाथ, ए.पै. = एक पैर, दो.पै = दोनों पैर, ए.हा.ए.पै = एक हाथ और एक पैर, प्र.प = प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अ.कु = अभिसाधित कुष्ठ, बौ = बौनापन, मा.दु. = मांसपेशीय दुर्विकार, ए.ह.पी = एसिड हमले से पीड़ित, ऑ.स्पे.वि.(ह) = ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (ह=हल्का, म.= मध्यम), वि.अ.अ = विशिष्ट अभिगम अक्षमता, मा.रो. = मानसिक रोग, ब.दि. = बहु दियांगताएं (बधिर, दृष्टिहीनता सहित)

नोट:- उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए पदों की उपयुक्तता मांगकर्ता विभाग द्वारा प्राप्त छूट, यदि कोई है, के अध्यधीन होगी।

- 4.2 कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद समूह 'ख' पद होने के कारण भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के लिए इनमें आरक्षण नहीं है। तथापि, मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार भूपू से अभ्यर्थियों को आयु में छूट अनुमत्य है।
- 4.3 सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में कनिष्ठ अनुवादकों के पदों के लिए शारीरिक मानक, शारीरिक क्षमता परीक्षा और चिकित्सा मानकों की आवश्यकता अनुबंध- XIV पर दी गई है। अभ्यर्थी बीआरओ में कनिष्ठ अनुवादक के पद का विकल्प देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे उक्त पद के लिए सभी आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा दी गई योग्यता-वरीयता के अनुसार एक बार आवंटित किए गए पदों को बाद में अभ्यर्थियों द्वारा इन मानकों में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहने के कारण नहीं बदला जाएगा।
- 4.4 सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में कनिष्ठ अनुवादक के पदों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र हैं।

5. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से होना चाहिए:-

- 5.1 भारत का नागरिक हो, या
- 5.2 नेपाल की प्रजा हो, या

- 5.3 भूटान की प्रजा हो, या
- 5.4 ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या
- 5.5 भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंजान्यिका व जंजीबार); जांबिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो।
- 5.6 बशर्ते कि उपरोक्त 5.2 से 5.5 श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।
- 5.7 जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा।

6. आयु सीमा:

- 6.1 दिनांक 01.01.2022 को 18 से 30 वर्ष अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02.01.1992 से पहले और 01.01.2004 के बाद न हुआ हो।
- 6.2 उपरोक्त पैरा 6.1 के अंतर्गत निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट और आयु में छूट का दावा करने के लिए श्रेणी कोड निम्नानुसार होंगे:

कोड संख्या	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में अनुज्ञेय छूट
01	अजा/अजजा	5 वर्ष
02	अपिव	3 वर्ष
03	दिव्यांगजन (अना)	10 वर्ष
04	दिव्यांगजन (अपिव)	13 वर्ष
05	दिव्यांगजन (अजा/अजजा)	15 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै)	आवेदन प्राप्त की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
08	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	3 वर्ष
09	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)	8 वर्ष

- 6.3 आयोग द्वारा आयु पात्रता के निर्धारण के लिए केवल मैट्रिक/ माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि को ही स्वीकार किया जाएगा तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।
- 6.4 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।
- 6.5 आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूँस का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया है अथवा वह सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में है कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि (अर्थात् 04.08.2022) से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन की प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक की स्थिति भी प्राप्त करनी होगी।
- 6.6 **स्पष्टीकरण:** भूपूँस से अभिप्राय वह व्यक्ति है-
- 6.6.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा
- जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ हो अथवा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया जा रहा हो; या
 - जिसे चिकित्सा आधार पर या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो जिसे सैनिक सेवा माना जा सके और जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या
 - जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या
- 6.6.2 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामतः निरंतर मूर्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी भी शामिल हैं; अथवा
- 6.6.3 सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों या सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है; अथवा
- 6.6.4 ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे;

अथवा

6.6.5 प्रादेशिक सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ;

अथवा

6.6.6 भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

6.7 भूपू.सै के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

7. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:

7.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अजा / अजजा / अपिव / आकव / दि.जन / भूपू.सै होने के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता / आवेदन पत्रों को, अनारक्षित श्रेणी (अना.) के अंतर्गत माना जाएगा। प्रमाणपत्रों के प्रारूप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध में संलग्न हैं। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अंतर्गत जारी निःशक्तता प्रमाणपत्र भी वैध होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

7.2 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति / समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती है। इस प्रयोजनार्थ निर्णायक तिथि, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् 04.08.2022 होगी।

7.3 अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज के सत्यापन की पुष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा / अजजा / अपिव / आकव / दि.जन / भूपू.सै श्रेणी से संबंधित होने का दावा करते हैं तो उन्हें आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से वारित कर दिया जाएगा।

7.4 अजा / अजजा / अपिव / आकव / दि.जन / भूपू.सै स्थिति या किसी अन्य लाभ नामतः शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु छूट आदि के दावे की निर्णायक तिथि, जहां पर अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् 04.08.2022 होगी।

8. अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायता:

8.1 दृष्टिहीनता, गतिविषयक दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित-दो.बां.) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थी चाहता है तो प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती है। चूंकि ये पद दोनों बांह प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित

दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं अतः ऐसे अभ्यर्थियों को प्रलिपिक की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 8.2 बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले शेष व्यक्तियों के मामले में, **अनुबंध-I** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने की शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।
- 8.3 दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को प्रलिपिक / पाठवाचक की सुविधा केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उन्होंने ऑनलाइन आवेदनपत्र में इसका विकल्प चुना हो।
- 8.4 अभ्यर्थी को अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रलिपिक की सुविधा में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार है। अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उपयुक्त विकल्प देना होगा।
- 8.5 यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रलिपिक का विकल्प दिया जाता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए और यह भी कि प्रलिपिक को इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे न्यूनतम मानदंड वाले अभ्यर्थियों को **अनुबंध-II** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इसके अतिरिक्त, प्रलिपिक को परीक्षा के समय मूल रूप में (पैरा 15.7 में दी गई सूची के अनुसार) वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। **अनुबंध-II** पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी के साथ-साथ प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत की जाएगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को उस पद के लिए दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
- 8.6 अभ्यर्थी का स्वयं का प्रलिपिक इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा में किसी अन्य दिव्यांग अभ्यर्थी की सहायता करते हुए पाया जाता है, तो दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- 8.7 ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 8.1 और 8.2 में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
- 8.8 पैरा 8.1 और 8.2 में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- 8.9 परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रलिपिक के अलावा किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.10 एक आंख वाले और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो आवर्धक लेंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लेंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) के सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लेंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना या दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लेंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लेंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा।

8.11 शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक/पाठ वाचक की सुविधा और/अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय प्रलिपिक/अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे समर्थक दस्तावेजों को प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में, परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा

9. अनिवार्य शैक्षिक योग्यता: (04.08.2022 के अनुसार)

9.1 पद कोड 'ए' से 'डी' के लिए (केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक / कनिष्ठ अनुवादक)

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में स्नात्कोत्तर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में स्नात्कोत्तर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी तथा हिन्दी माध्यम से, हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में स्नात्कोत्तर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम से, हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में स्नात्कोत्तर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी विषय के साथ अथवा उनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय के रूप में हो, हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में स्नात्कोत्तर डिग्री;

और

हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में 02 वर्ष का अनुभव।

9.2 पद कोड 'ई' के लिए (केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक)

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में स्नात्कोत्तर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में स्नात्कोत्तर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी तथा हिन्दी माध्यम से, हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में स्नात्कोत्तर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में स्नात्कोत्तर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी विषय के साथ अथवा उनमें से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय के रूप में हो, हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में स्नात्कोत्तर डिग्री ;

और

हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में 03 वर्ष का अनुभव ।

9.3 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 04.08.2022 को या उससे पहले अभ्यर्थियों के पास अनिवार्य शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए;

9.4 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्री/डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा / डिग्रियां / प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो ।

तदनुसार, यदि ऐसी डिग्री को उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्यता नहीं दी गई है, जब अभ्यर्थियों ने वह शैक्षिक अर्हता अर्जित की है, उन्हें शैक्षिक अर्हता के उद्देश्य से अर्हता प्राप्त नहीं माना जाएगा।

9.5 भारत के राजपत्र के भाग-III (8)(v) में दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम 2017 के अनुसार, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के तहत किए गए अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत, नर्सिंग, फार्मसी, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी आदि के पाठ्यक्रम अनुमत्य नहीं हैं। तथापि, मुकुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम एआईसीटीई एवं अन्य के मामले में, डब्ल्यू.पी.(सी) सं. 382/2018 में एमए सं.3092/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11-03-2019 के आदेशानुसार, इग्नू द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में नामांकित छात्रों को प्रदान की गई अभियांत्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा यथा-प्रयोज्य वैध माना जाएगा।

9.6 आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अर्हता-प्राप्त घोषित सभी अभ्यर्थियों को **04.08.2022** को अथवा उससे पूर्व यथा-निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के साक्ष्य स्वरूप सभी संबद्ध मूल प्रमाण-पत्र जैसे अंक-पत्र / अनंतिम डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा न करने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। वे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो माना जाएगा कि उन्होंने भी शैक्षिक योग्यता हासिल कर ली है। यह दोहराया जाता है कि बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा विशिष्ट तिथि तक अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता का परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा निर्णायक कट-ऑफ तारीख तक परिणाम को तैयार किए जाने मात्र से ही शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं हो जाती है।

10. आवेदन कैसे करे:

10.1 आवेदनपत्र केवल ऑनलाइन मोड में कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <https://ssc.nic.in> पर जमा करने होंगे। विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के अनुलग्नक- III और अनुलग्नक- IV का अवलोकन करें। एक-बारगी पंजीकरण का और ऑनलाइन आवेदन का नमूना प्रोफार्मा अनुलग्नक- III क और अनुलग्नक- IV क के रूप में संलग्न हैं।

10.2 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदनपत्र में जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए गए हाल ही के रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबीसे 50 केबी) अपलोड करनी होगी। **फोटोग्राफ परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी न हो।** फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए।

10.3 यदि अभ्यर्थी ने उचित फोटोग्राफ उपलोड नहीं किया है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। फोटोग्राफ के स्वीकार्य / अस्वीकार्य नमूने अनुबंध-XV में दिए गए हैं।

- 10.4 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय **04.08.2022 (23:00 बजे)** है।
- 10.5 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा हो सकती है और क.च.आ. की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।
- 10.6 आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत न करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 10.7 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदनपत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है।

11 . आवेदन शुल्क:

- 11.1 देय शुल्क: 100 / - रुपये (मात्र एक सौ रुपये) ।
- 11.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों तथा आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।
- 11.3 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपये क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है ।
- 11.4 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 05.08.2022 (2300 बजे) तक किया जा सकता है। तथापि, जो अभ्यर्थी एसबीआई के चालान के माध्यम से नकद भुगतान करना चाहते हैं, वे एसबीआई की शाखाओं में बैंक के कार्य समय के भीतर 05.08.2022 तक नकद भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने चालान 04.08.2022 (2300 बजे)।
- 11.5 अभ्यर्थी ऑनलाइन शुल्क का भुगतान **05.08.2022 (23:00 बजे)** तक कर सकते हैं।
- 11.6 निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे । इस तरह के निरस्तीकरण पर कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- 11.7 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हो गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी । इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए 'भुगतान की स्थिति' लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

11.8 एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

12 . आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [06.8.2022 (23:00 बजे)]:

12.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन संबंधी मापदंडों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 01 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

12.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात् यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

12.4 नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

12.5 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो।

12.6 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपये क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

12.7 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

12.8 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैंक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

13. परीक्षा केन्द्र:

13.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस केंद्र (केंद्रों) को जरूर इंगित करना चाहिए जिसमें वह परीक्षा देना चाहता है। परीक्षा केंद्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों, जिनके क्षेत्राधिकार में ये परीक्षा केन्द्रों पर स्थित हैं, का विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र तथा केन्द्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय और उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों / वेबसाइट का पता
1	भागलपुर (3201), पटना (3206), पूर्णिया (3209) आगरा (3001), बरेली (3005), कानपुर (3009), लखनऊ (3010) मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013)	मध्य क्षेत्र (म.क्षे.) बिहार तथा उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय कार्यालय (म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 34 ए, महात्मा गांधी मार्ग सिविल लाइन्स, केंद्रीय सदन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश -211002 (http://www.ssc-cr.org)
2	कोलकाता (4410), पोर्ट ब्लेयर (4802), गंगटोक (4001), भुवनेश्वर (4604), रांची (4205)	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय कार्यालय (पू.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ भवन, (आठवां तल) , 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020 (www.sscer.org)
3	बेंगलूरु (9001), कोची कोझिकोड (कालीकट) (9206), तिरुवनंतपुरम (9211)	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.) लक्षद्वीप, कर्नाटक तथा केरल	क्षेत्रीय निदेशक (क.के.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलूरु, कर्नाटक-560034 (www.ssckkr.kar.nic.in)
4	बिलासपुर (6202), दुर्ग भिलाई (6205), रायपुर (6204), भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007)	मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्र.क्षे.) छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश	उप निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कॉम्प्लेक्स, पंडरी रायपुर, छत्तीसगढ़- 492004 (www.sscmpr.org)
5	गुवाहाटी (दिसपुर) (5105)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र (उ.पू.क्षे.)	क्षेत्रीय निदेशक (उ.पू.क्षे.),

	शिलांग (5401), अगरतला (5601)	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, नागालैंड तथा त्रिपुरा	कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कम्प्लेक्स, लास्ट गेट, बेलटोला, वशिष्ठ रोड, डाकघर- असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 (www.sscner.org.in)
6	दिल्ली (2201), अजमेर (2401), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), सीकर (2411), उदयपुर (2409), देहरादून (2002), हलद्वानी (2003), रुड़की (2006)	उत्तरी क्षेत्र (NR)/ दिल्ली ,राजस्थान तथा उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (www.sscnr.net.in)
7	चंडीगढ़/मोहाली (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), जलंधर (1402), पटियाला (1403)	पश्चिमोत्तर उप-क्षेत्र (पश्चि.क्षे.)/ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख तथा पंजाब	उप निदेशक (पश्चि.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं. 3, भूतल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर-9, चंडीगढ़-160009 (www.sscnwr.org)
8	चेन्नै (8201), हैदराबाद (8002), कुरनूल (8003), तिरुचिरापल्ली (8206), विशाखापत्तनम (8007), विजयवाड़ा (8008), तिरुनेवेली (8207)	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, द्वितीय तल, ईवीके संपत बिल्डिंग , डीपीआई परिसर, कॉलेज रोड, चेन्नै, तमिलनाडु-600006 (www.sscsr.gov.in)
9	पणजी (7801), अहमदाबाद (7001), राजकोट (7006), अमरावती (7201), मुम्बई (7204), नागपुर (7205), नासिक (7207), पुणे (7208)	पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.)/ दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि करवे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र -400020 (www.sscwr.net)

13.2 कोई भी अभ्यर्थी एक ही क्षेत्र में प्राथमिकता के क्रम में तीन केंद्रों का विकल्प दे सकता है। बाद में, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र को बदलने के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों का चुनाव सावधानीपूर्वक करना चाहिए तथा अपने आवेदन पत्र में उसे ठीक-ठीक दर्शाना चाहिए।

13.3 आयोग अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए केंद्रों में उन्हें समायोजित करने का प्रयास करता है। तथापि, आयोग को किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र में परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार है। आयोग को परीक्षा देने हेतु किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित करने का अधिकार भी है।

14. परीक्षा की रूपरेखा:

14.1 इस परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे। इन प्रश्नपत्रों के बारे में निम्नानुसार हैं :-

भाग	प्रश्नपत्र की पद्धति	विषय	प्रश्नों की संख्या/ अधिकतम अंक	अवधि
प्रश्नपत्र-I (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	कंप्यूटर आधारित पद्धति	(i) सामान्य हिन्दी (ii) सामान्य अंग्रेजी	100/100 100/100	2 घंटे (ऊपर पैरा-8 के अनुसार उन अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट, जो प्रलिपिक का उपयोग करने के पात्र हैं)
प्रश्नपत्र-II	वर्णनात्मक	अनुवाद तथा निबंध	200 अंक	2 घंटे (ऊपर पैरा-8 के अनुसार उन अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट, जो प्रलिपिक का उपयोग करने के पात्र हैं)

14.2 प्रश्नपत्र-I में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे।

14.3 प्रश्नपत्र-I में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों का उत्तर देते समय इस तथ्य को ध्यान में रखें।

14.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं (प्रश्नपत्र -1) में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक आयोग द्वारा जारी नोटिस सं-1-1/2018-पी&पी-1 दिनांक-07.2.2019 में प्रकाशित सिद्धान्त के प्रयोग से सामान्यीकृत किए जाएंगे और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का प्रयोग अंतिम योग्यता और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

14.5 परीक्षा के बाद अनंतिम उत्तर-कुंजी आयोग के वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर-कुंजी को अच्छी तरह से देख सकते हैं और अगर उस पर कोई अभ्यावेदन देना चाहें तो आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के अंदर, 100 रु. प्रति प्रश्न, जो कि अप्रतिदेय है, का भुगतान करके सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से दे सकते हैं। उत्तर-कुंजी अपलोड करने के समय, आयोग द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के अंदर प्राप्त, उत्तर-कुंजी से संबन्धित किसी भी अभ्यावेदन को उत्तर-कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले संवीक्षित किया जाएगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। उत्तर-कुंजी से संबन्धित, बाद में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 14.6 नोटिस में दी गई परीक्षाओं की तारीखें अनंतिम हैं। परीक्षाओं की अनुसूची में कोई भी बदलाव केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा।
- 14.7 अंकों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 14.8 प्रश्नपत्र-II में, अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका के कवर पेज पर निर्धारित स्थानों पर अपना सही रोल नंबर लिखना चाहिए। अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका के प्रासंगिक कॉलम में हस्ताक्षर करना चाहिए और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगाना चाहिए। जिन उत्तर पुस्तिकाओं में नंबर, हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे के निशान नहीं होगा, उनमें शून्य अंक दिया जाएगा।
- 14.9 अभ्यर्थियों को सख्ती से सलाह दी जाती है कि वे उत्तर पुस्तिका (पेपर-II) के अंदर कोई भी व्यक्तिगत पहचान, जैसे- नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, पता आदि न लिखें, ऐसा करना अनुचित साधनों (यूएफएम) का प्रयोग माना जाएगा। जो अभ्यर्थी इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान अंक दिए जाने के बावजूद शून्य दिया जाएगा।
- 14.10 **परिचायक पाठ्यक्रम**
- 14.10.1 **प्रश्नपत्र-I (कंप्यूटर आधारित परीक्षा):** इसमें ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जिनसे अभ्यर्थी के भाषा और साहित्य की समझ और शब्दों, मुहावरों तथा वाक्यांशों का सही प्रयोग करने, भाषा को सही, ठीक-ठीक तथा प्रभावशाली ढंग से लिखने में उनकी योग्यता को आंका जा सके। प्रश्न डिग्री स्तर के होंगे।
- 14.10.2 **प्रश्नपत्र-II: (अनुवाद और निबंध):** अभ्यर्थी के अनुवाद कौशल और दोनों भाषाओं को सही, ठीक-ठाक एवं प्रभावशाली ढंग से लिखने एवं समझने में उनकी योग्यता का परीक्षण करने के लिए, इस प्रश्नपत्र में अनुवाद करने के लिए दो गद्यांश होंगे, जिसमें से एक गद्यांश का हिंदी से अंग्रेजी तथा एक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होगा और अंग्रेजी तथा हिंदी में एक-एक निबंध लिखना होगा। प्रश्नपत्र का स्तर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के अनुरूप होगा।

15. परीक्षा में प्रवेश

- 15.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (प्रश्नपत्र-I) में बैठने के लिए रोल नम्बर और प्रवेश-पत्र जारी किया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। इस के बाद, इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण की परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र जारी किया जाएगा।
- 15.2 आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की गहन जांच नहीं करेगा और इसलिए अभ्यर्थिता सिर्फ अस्थायी रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि को ध्यान पूर्वक

देख कर स्वयं को संतुष्ट करें कि वे उस पद(पदों) के लिए पात्र हैं। सहायक दस्तावेजों की प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएगी। संवीक्षा के समय, अगर आवेदन में किए गए किसी भी दावे को सही नहीं पाया गया तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में आयोग के निर्णय को अंतिम माना जाएगा।

- 15.3 परीक्षा संबंधी प्रवेश-पत्र, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश-पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए आयोग मुख्यालय की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) और आयोग के संबंधित क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय, जिनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा चुना गया परीक्षा केंद्र स्थित है (ब्योरा पैरा-13 पर है), की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें।
- 15.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक अपना ब्योरा आयोग की वेबसाइट पर न मिले तो उसे आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय से तत्काल संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।
- 15.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- 15.6 प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा से 3-7 दिन पूर्व उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश-पत्र की प्रिंट आउट प्रति लेकर आना होगा।
- 15.7 प्रवेश-पत्र के अलावा, अभ्यर्थी को हाल के दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, प्रवेश-पत्र पर छपी जन्म-तिथि के प्रमाण के लिए फोटो लगा कम से कम एक पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना होगा, जैसे-
- 15.7.1 आधार कार्ड/ ई-आधार का प्रिंट आउट
 - 15.7.2 मतदाता पहचान-पत्र कार्ड
 - 15.7.3 ड्राइविंग लाइसेंस
 - 15.7.4 पैन कार्ड
 - 15.7.5 पासपोर्ट
 - 15.7.6 विद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र
 - 15.7.7 नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी/उपक्रम/निजी)

- 15.7.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा पंजिका
- 15.7.9 केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र
- 15.8 अगर फोटो पहचान-पत्र में जन-तिथि अंकित नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्म-तिथि के प्रमाण से संबन्धित एक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र (अर्थात् सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी संबंधी प्रमाणपत्र) मूल रूप में लाना होगा। प्रवेश-पत्र में अंकित जन्म-तिथि और जन्म-तिथि के प्रमाण के तौर पर लाए गए फोटो प्रमाण-पत्र/प्रमाण-पत्र में मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
- 15.9 पैरा-8 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा लेने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थी को अपने साथ जरूरी चिकित्सा प्रमाण-पत्र/ वचन-पत्र/ दिव्यांगजन के फोटो पहचान-पत्र की प्रति, जैसा इसमें निर्दिष्ट किया गया है, लाना होगा। बिना उपरोक्त दस्तावेज़ के अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
- 15.10 परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज़ भी अभ्यर्थी को अपने साथ लाना होगा।
- 15.11 धुंधला फोटोग्राफ और/या हस्ताक्षर युक्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
16. **दस्तावेज़ सत्यापन (डी.वी.):** सरकार द्वारा मिशन मोड में भर्तियाँ किए जाने को देखते हुए और पूरी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, आयोग ने निर्णय लिया है कि दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) इंडेंटिंग प्रयोक्ता विभागों द्वारा किया जाएगा।
- 16.1 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अर्हक सभी अभ्यर्थियों को पैरा 16.3 से 16.4.10 के अनुसार मूल दस्तावेज़ों और उनकी प्रतिलिपि के साथ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए आना अपेक्षित है।
- 16.2 अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए विस्तृत विकल्प या तो दस्तावेज़ सत्यापन के पहले ऑनलाइन या दस्तावेज़ सत्यापन के समय लिया जाएगा। अभ्यर्थी को उस मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए विचार नहीं किया जाएगा जिसकी वरीयता उसने सूचित न की हो। दस्तावेज़ सत्यापन के समय पुष्टि किए गए विकल्प को अंतिम माना जाएगा और उसे किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को विकल्प भरते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
- 16.3 दस्तावेज़ सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को हाल का पासपोर्ट आकार का दो रंगीन फोटो और एक फोटो पहचानपत्र साक्ष्य मूल रूप में लाना होगा। फोटो पहचान-पत्र निम्न हो सकते हैं:-
- 16.3.1 आधार कार्ड/ ई आधार का प्रिंट आउट
- 16.3.2 मतदाता कार्ड
- 16.3.3 पेन कार्ड
- 16.3.4 पासपोर्ट
- 16.3.5 ड्राइविंग लाइसेंस
- 16.3.6 विद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र
- 16.3.7 नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी/उपक्रम/निजी)

16.3.8 केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र

16.4 अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतिलिपि जमा करनी होगी जैसे:-

16.4.1 मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक प्रमाणपत्र

16.4.2 शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र

16.4.3 अनुभव प्रमाण-पत्र, अगर लागू हो।

16.4.4 जाति/वर्ग प्रमाण-पत्र, यदि आरक्षित वर्ग से हैं।

16.4.5 निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र, अगर लागू हो।

16.4.6 भूतपूर्व सैनिक के लिए :

16.4.6.1 अनुलग्नक-VI के अनुसार वचन-पत्र।

16.4.6.2 अनुलग्नक-V के अनुसार कार्यरत रक्षा कर्मी प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो।

16.4.6.3 सेवा-मुक्ति प्रमाण-पत्र, यदि अभ्यर्थी सशस्त्र सेना से सेवा-मुक्त हुआ हो।

16.4.7 आयु-सीमा में छूट मांगने वालों के लिए संबन्धित दस्तावेज़।

16.4.8 अनापति प्रमाण-पत्र, सरकारी/सरकारी-उपक्रम में कार्यरत अभ्यर्थी के लिए।

16.4.9 जो अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद, शादी, दूसरी शादी या तलाक के बाद नाम परिवर्तन का दावा करता है, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:

16.4.9.1 महिला की शादी के मामले में :- पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमें पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रति या शपथ-आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा।

16.4.9.2 महिला की दूसरी शादी के मामले में :- तलाकनामा/ या पहले पति की अगर मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु प्रमाण-पत्र और वर्तमान पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमें पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रति या शपथ-आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा।

16.4.9.3 महिला के तलाक के मामले में :- तलाकनामे की प्रमाणित-प्रति और एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा।

16.4.9.4 दूसरी परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के नाम परिवर्तन के लिए:- एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा और दो प्रमुख दैनिक अखबारों में प्रकाशित अखबार की मूल कटिंग (एक दैनिक अखबार अभ्यर्थी के स्थायी और वर्तमान पते या आस-पास के क्षेत्र की होनी चाहिए) या गज़ट अधिसूचना।

16.4.10 प्रवेश-पत्र में उल्लिखित दस्तावेज़-सत्यापन के लिए जरूरी कोई अन्य दस्तावेज़।

17. पद वरीयता

- 17.1 परीक्षा विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों में विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों के लिए विस्तृत विकल्प से या तो दस्तावेज सत्यापन से पहले ऑनलाइन या दस्तावेज सत्यापन के समय लिए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी ने अपनी प्राथमिकता किसी पद / मंत्रालय / विभाग / कार्यालय का विकल्प नहीं दिया है तो उसके नाम पर उसके लिए विचार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय पुष्टि किए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और किसी भी परिस्थिति में बाद में उन्हें बदला नहीं जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे विकल्पों को देते समय सावधानी बरतें।
- 17.2 बीआरओ में कनिष्ठ अनुवादक के पदों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षण सहित शारीरिक और चिकित्सा मानकों की सख्त आवश्यकता होती है (ब्योरा अनुबंध-XIV पर दिया गया है)। बीआरओ द्वारा अभ्यर्थियों के अंतिम चयन के बाद ऐसे शारीरिक और चिकित्सा मानकों की जांच की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे परीक्षणों में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता को बाद में किसी अन्य पद / विभाग के लिए नहीं माना जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन आवश्यकताओं का पूरी तरह अवलोकन करें और विचार करके अपनी वरीयता दें।

18. चयन का तरीका:

- 18.1 प्रश्न-पत्र-I और प्रश्न-पत्र-II के लिए न्यूनतम अर्हक अंक इस प्रकार हैं:-
- 18.1.1 अनारक्षित: 30%
 - 18.1.2 अन्य पिछड़ी जातियाँ/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : 25%
 - 18.1.3 अन्य: 20%
- 18.2 प्रश्नपत्र-I अर्थात् कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर, अभ्यर्थियों को श्रेणी-वार प्रश्नपत्र-II में बैठने के लिए शार्ट-लिस्ट किया जाएगा। अगर कंप्यूटर आधारित परीक्षा विविध शिफ्ट में ली जाएगी तो योग्यता-सूची बनाने के लिए सामान्यीकृत अंक का उपयोग किया जाएगा।
- 18.3 अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र-I+ प्रश्नपत्र-II में उनके प्रदर्शन के आधार पर दस्तावेज सत्यापन के लिए शार्ट-लिस्ट किया जाएगा। प्रश्नपत्र-I एवं प्रश्नपत्र-II में अलग-अलग श्रेणी-वार कट-ऑफ हो सकते हैं।
- 18.4 अभ्यर्थियों के प्रश्नपत्र-I+ प्रश्नपत्र-II में उनके प्रदर्शन तथा दस्तावेज सत्यापन के समय उनके द्वारा दी गई पदों/विभागों की वरीयता के आधार पर मंत्रालयों/विभागों का आबंटन तथा अंतिम चयन किया जाएगा।
- 18.5 बीआरओ में कनिष्ठ अनुवादक के पदों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षण सहित शारीरिक और चिकित्सा मानकों की सख्त आवश्यकता होती है (ब्योरा अनुबंध-XIV पर दिया गया है)। बीआरओ द्वारा अभ्यर्थियों के अंतिम चयन के बाद ऐसे शारीरिक और चिकित्सा मानकों की जांच की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे परीक्षणों में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता को बाद में किसी अन्य पद /

विभाग के लिए नहीं माना जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन आवश्यकताओं का पूरी तरह अवलोकन करें और विचार करके अपनी वरीयता दें।

18.6 अभ्यर्थी को उनके योग्यता के अनुसार एक बार उसकी प्रथम उपलब्ध वरीयता दिए जाने के बाद उसके नाम पर अन्य विकल्पों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को पदों/विभागों की वरीयता का चयन सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है। अभ्यर्थियों द्वारा एक बार दिया गया विकल्प/वरीयता **अंतिम** माना जाएगा और यह **अपरिवर्तनीय** होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पदों/विभागों के परिवर्तन किए जाने संबंधी बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर किन्हीं भी परिस्थितियों में विचार नहीं किया जाएगा।

18.7 आयोग अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए पदों / विभागों की योग्यता-सह-वरीयताओं के आधार पर पदों के लिए अंतिम आवंटन तैयार करता है और एक बार पद आवंटित होने के बाद, शारीरिक / चिकित्सा / शैक्षणिक मानकों की किसी भी पद विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा न करने के कारण आयोग द्वारा पदों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, उदाहरणार्थ यदि किसी अभ्यर्थी ने एक पद के लिए उच्च वरीयता दी है और उस पद के लिए चुना गया है; उस स्थिति में, यदि वह चिकित्सा / शारीरिक / शैक्षणिक मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उनके नाम पर अन्य वरीयताओं के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

18.8 अजा, अजजा, अपिव, आकव और दिव्यांगजन श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को उनके श्रेणी के लिए निर्धारित समग्र योग्यता या रिक्तियों में अपनी स्थिति के अनुसार, जो भी उनके लिए लाभप्रद हो, पद में सामान्य / अनारक्षित रिक्तियों में से समायोजित किया जाएगा, । आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव, आकव और दिव्यांगजन श्रेणी के योग्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी ।

18.9 अजा, अजजा, अपिव, आकव और दिव्यांगजन श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को जो उनकी योग्यता स्थिति पर ध्यान दिए बिना आयु सीमा, अनुभव या योग्यता, अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा, न कि अनारक्षित रिक्तियों में। आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है। जहां तक भू.पू.सै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भू.पू.सै को आयु में कटौती करने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं माना जाएगा। इसी तरह दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में 10 साल की छूट को मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता।

18.10 शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति, जो स्वयं अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाता है, को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्ति के लिए वह पद उपयुक्त पाया गया हो।

18.11 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

- 18.12 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तों को पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
- 18.13 परीक्षा के आधार पर नियुक्त हुए अभ्यर्थी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे और परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करें या ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करें। परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने लेने पर यदि अभ्यर्थियों को नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है, तो अभ्यर्थियों को उनके पदों पर स्थायी कर दिया जाएगा।
- 18.14 नियुक्ति के लिए चुने गए अभ्यर्थी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी हैं अर्थात् यह सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं।
- 18.15 अंतिम चयन पर अभ्यर्थी को संबन्धित प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन द्वारा कोई राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ अंचल आवंटित किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी को आवंटित पद पर संबन्धित प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन द्वारा स्थायी करने हेतु उस आवंटित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ अंचल की स्थानीय भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने की जरूरत पड़ सकती है।
- 18.16 यदि परीक्षा के किसी भी टियर / चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर या अगले चरण की परीक्षा के आयोजन के दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए।
- 18.17 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और वह आयोग या संबंधित प्रयोक्ता विभाग से एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं करता है, तो उसे संबंधित प्रयोक्ता विभाग से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

19. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा:

- 19.1 उन मामलों में जहाँ एक से अधिक अभ्यर्थी प्रश्नपत्र -I तथा प्रश्नपत्र-II में कुल अंक एक समान प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-
- 19.1.1 प्रश्नपत्र -II में कुल अंकों को देखकर।
- 19.1.2 प्रश्नपत्र -I (अर्थात् सामान्य हिन्दी) के भाग (i) में अंकों को देखकर।
- 19.1.3 जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है।
- 19.1.4 नामों के वर्णानुक्रम को देखकर।

20. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

- 20.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटे लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचना के परीक्षा स्थल से बाहर जाना ।	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत, करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्रों/हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेयास्त्रों/हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाइ कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लेब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैप/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा-प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

20.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फॉरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

21. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.जा.39020/1/2015-स्था(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा: (i) अभ्यर्थी का नाम, (ii) पिता/पति का नाम, (iii) जन्म तिथि, (iv) श्रेणी (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/शादि/भू.पू.सै), (v) अभ्यर्थी का लिंग, (vi) शैक्षिक योग्यता, (vii) अर्हक परीक्षा में कुल प्राप्तांक, (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है, (ix) पूरा पता, (x) ई-मेल, तथापि अभ्यर्थियों के पास अपना आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त विवरण को सार्वजनिक न करनेका विकल्प होगा। तदनुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अंक तथा रैंक आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्होंने आयोग/एनसीएस की वेबसाइट पर उपरोक्त ब्योरा प्रकट करने का विकल्प दिया है।

22. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

23. आयोग का निर्णय अंतिम:

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धति, परीक्षा (ओं) का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची तैयार करने व बल आबंटन, कदाचार में लिप्त होने पर वंचित किए जाने संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

24. **अयोग्यता:** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

25. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

(क)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
(ख)	अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
(ग)	कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद(दों) के लिए पात्र हैं। सहायक दस्तावेजों की प्रतियां दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि कोई सूचना अथवा दावा ठीक नहीं है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
(घ)	अजा/अजजा/अपिव/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/शा.दि के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(ङ)	बैंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांग व्यक्ति(दि.व्य.) माना जाएगा और वे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे।
(च)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए। सामान्यतः आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है।
(छ)	अभ्यर्थियों को मेट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(ज)	अपाठ्य /धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
(झ)	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
(ञ)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में हाल ही के दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और फोटो लगा एक पहचान साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, डाइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूपूरे की सेवा निवृत्ति पंजिका या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त

	पहचानपत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र लाना होगा। शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें पैरा 8 में यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र/वचनपत्र /प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लाना होगा।
(ट)	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी /साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
(ठ)	सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(ड)	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / उप क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए।
(ढ)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
(ण)	देय शुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), दिव्यांगजन (दि.) तथा भू.पू.सं. से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।
(त)	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य अवधि के दौरान परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है, जिसमें 'आवेदन फॉर्म सुधार के लिए विंडो' की अवधि शामिल नहीं है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि विभिन्न पंजीकरण संख्या वाले अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो आयोग द्वारा सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और एक से अधिक बार (किसी भी स्तर पर) परीक्षा में उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
(थ)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए 1 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार एक-बारगी पंजीकरण/ ऑनलाइन आवेदन डाटा में अपेक्षित सुधार/ परिवर्तन करने के बाद आवेदन को पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा की सूचना के पैरा-12 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार राशि का ऑनलाइन भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए पिछले आवेदनों को

	अनदेखा कर दिया जाएगा।
(द)	सही / अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्थियों को यह जांचना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। संशोधित/अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या 'आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैंक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
(ध)	ऑनलाईन आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति के तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें चेहरा सामने से दृश्यमान होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा सही फोटोग्राफ अपलोड नहीं जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। स्वीकार्य/अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-XV पर दिए गए हैं।
(न)	आवेदन पत्र के अंत में घोषणा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। घोषणा पर सहमत होने/हस्ताक्षर करने से पहले, उम्मीदवारों को भरे गए आवेदन विवरण और घोषणा की सामग्री के माध्यम से जाना चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही इस पर सहमत/हस्ताक्षर करना चाहिए कि प्रस्तुत जानकारी सही है। किसी भी छिपाने/गलत बयानी/गलत घोषणा से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

अवर सचिव
कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय)

अनुबंध-I

परीक्षार्थी की लिखने संबंधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम),
सुपुत्र/सुपुत्री , ग्राम/जिला/राज्यके निवासी हैं,
जोकि(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी
प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं
उनकी लेखन क्षमताओं को प्रभावित करती हैं।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम व पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:

तारीख:

टिप्पणी: संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग
विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

अनुबंध-II

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं (दिव्यांगता का स्वरूप) दिव्यांगता से पीड़ित अभ्यर्थी
हूँ..... (परीक्षा का नाम) में बैठने के लिए..... .. (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)
..... जिले में स्थित (केंद्र का नाम) में रोल नं.
है। मेरी शैक्षिक योग्यता है।

मैं सूचित करता/करती हूँ कि (प्रतिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त
परीक्षा में प्रतिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उनकी शैक्षिक योग्यता है। यदि बाद में यह पता चलता है
कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक
है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-III

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I. एक बारगी पंजीकरण

II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें ।

2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:

क) मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)

ख) ई-मेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।

ग) आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरणों में मूल दस्तावेज को दिखाना होगा)

i. वोटर आईडी कार्ड

ii. पैन

iii. पासपोर्ट

iv. ड्राइविंग लाइसेंस

v. स्कूल/कॉलेज आई डी

vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)

घ) मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने का बोर्ड, अनुक्रमांक और वर्ष के बारे में जानकारी।

ड) यदि आप किसी दिव्यांगता से पीड़ित हैं, तो दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या।

3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <http://ssc.nic.in> पर 'Login' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।

4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:

क) मूलभूत विवरण

ख) अतिरिक्त जानकारीयां तथा संपर्क विवरण

ग) घोषणापत्र ।

5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:

क) सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है । यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

ख) क्रम संख्या-1: आधार संख्या/ पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। इन नंबरों में से कोई एक नंबर दिया जाना अपेक्षित है।

ग) क्रम संख्या-2: अपना नाम ठीक वैसा ही भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख क्रम संख्या 2ग और 2घ में करें।

घ) क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम ठीक वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

ङ) क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम ठीक वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

च) क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि ठीक वैसी ही भरें जैसीकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।

छ) क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. शिक्षा बोर्ड का नाम

ii. अनुक्रमांक

iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

ज) क्रम संख्या-7: लिंग (पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर)

झ) क्रम संख्या-8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (सर्वोच्च)

ञ) क्रम संख्या-9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो कर्मचारी चयन आयोग/ दिल्ली पुलिस संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ट) क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि कर्मचारी चयन आयोग/ दिल्ली पुलिस जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड/ पंजीकरण की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ठ) अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।

ड) जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपके डाटा को सहेजा जाएगा तथा आपके पंजीकरण संख्या को आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ढ) आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

ण) अपनी पंजीकृत संख्या को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

त) पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन के बाद, बदले गए पासवर्ड तथा पंजीकरण संख्या का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

- थ) सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर, आपके द्वारा अब तक भरे गए 'मूलभूत विवरण' के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। यदि अपेक्षित हो तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं अथवा अपना एक बारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए नीचे दिए गए 'Next' बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
- द) क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध) क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- न) क्रम संख्या-13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- प) क्रम संख्या-14: यदि कोई दिव्यांगता हो तो उसकी सूचना दें। दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) (चालन संबंधी), 40% या अधिक की चालन संबंधी दिव्यांगता (एक पैर या दोनों पैर प्रभावित): हां/नहीं। दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या उपलब्ध कराएं।
- फ) क्रम संख्या-15 से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- ब) प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें तथा 'अंतिम सबमिट' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- भ) 'घोषणा' को ध्यान से पढ़ें और यदि आप घोषणा से सहमत हैं तो 'I Agree' पर क्लिक करें।
- म) 'अंतिम सबमिट' पर क्लिक करने पर विभिन्न ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको दोनों ओटीपी में से एक ओटीपी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में दर्ज करना होगा।
- य) मूलभूत सूचना को प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'मूलभूत विवरण' को बदला जा सकता है। तथापि, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एकबारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें।
7. आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

BASIC DETAILS

NOTE: Candidates must be cautious while filling up Registration details. Your candidature may get cancelled in case incorrect/ wrong information is furnished.

1. Do you have Aadhaar ? *

☐ Yes ☒ No

1a. Aadhaar Number

Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card

1b. Verify Aadhaar Number

1c. Type of ID *

Driving License



Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number

1d. ID Number *

BRHPK3731M

2a. Name *

SAMPLE NAME

1. Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate

2. Please enter name without any salutation (i.e. Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof)

2b. Verify Name *

SAMPLE NAME

2c. Have you ever changed Name?

☐ Yes ☒ No

2d. New Name / Changed Name

अनुबंध-IIIक (2/5)

3a. Father's Name *

SAMPLE FATHER NAME

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

2. Please enter name without any salutation (i.e. Mr./Smt./Late/ Dr/ Prof etc).

3b. Verify Father's Name *

SAMPLE FATHER NAME

4a. Mother's Name *

SAMPLE MOTHER NAME

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

2. Please enter name without any salutation (i.e. Mrs/Mr/Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).

4b. Verify Mother's Name *

SAMPLE MOTHER NAME

5a. Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

02/01/1999

Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

02/01/1999

6. Matriculation (10th Class) Examination details

(i). Education Board *

Central Board of Secondary Education (CBSE) ▼

Education Board of Matriculation Examination

(ii). Verify Education Board *

Central Board of Secondary Education (CBSE) ▼

(iii). Roll Number *

301739

1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

2. Only / and - are allowed. Please enter Roll number without any other special characters.

3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter 'Roll Code - Roll No'.

अनुबंध-IIIक (3/5)

(iv). Verify Roll Number *	301739
(v). Year of Passing *	2013
(vi). Verify Year of Passing *	2013
7a. Gender *	☒ Male ☐ Female ☐ Transgender
7b. Verify Gender *	☒ Male ☐ Female ☐ Transgender
8. Level of Educational Qualification *	Graduation
9a. Mobile Number *	8111111111
9b. Verify Mobile Number *	8111111111
10a. Email ID*	sample123@gmail.com
10b. Verify Email ID*	sample123@gmail.com
* State / UT of Permanent Address *	Delhi

Save

Reset

Close

ADDITIONAL AND CONTACT DETAILS

Edit

11a. Category * ☒ General ☐ EWS ☐ OBC ☐ ST ☐ SC

11b. Verify Category * ☒ General ☐ EWS ☐ OBC ☐ ST ☐ SC

12. Nationality * Citizen of India

13. Identification Marks* MOLE ON RIGHT CHEEK

14a. Are you a Person with Benchmark Disability? * ☐ Yes ☒ No

14b. Type of Disability --Select--

NOTE

VH: Blindness and low vision

HH: Deaf and hard of hearing

OH: Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy

Others: Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness

14c. Disability Certificate Number

15a. Permanent Address * SAMPLE PERMANENT ADDRESS

15b. State/ UT * Punjab

अनुबंध-IIIक (5/5)

15b. State/ UT *	Punjab
15c. District *	Patiala
15d. PIN Code *	140401
16. Is Present Address same as Permanent Address?	☒ Yes ☐ No
17a. Present Address *	SAMPLE PERMANENT ADDRESS
17b. State/ UT *	Punjab
17c. District *	Patiala
17d. PIN Code *	140401
18. Contact details for other nationals	

[Previous](#) [Save](#) [Next](#) [Reset](#) [Close](#)

DECLARATION

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

☒ I Agree

[Previous](#) [Take Draft Print](#) [Final Submit](#) [Close](#)

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:
 1. हाल का (परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं) जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (20 केबी से 50 केबी)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) X 4.5 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। फोटो बिना टोपी पहने और बिना चश्मे लगाए होनी चाहिए। धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटो अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। स्वीकृत/ अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-XV में दिए गए हैं।
 2. जेपीईजी फॉर्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। अस्पष्ट/धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।
3. अर्हक शैक्षिक योग्यता का ब्योरा जैसे उत्तीर्ण करने का वर्ष, अनुक्रमांक सं., प्रतिशत/ सीजीपीए, विश्वविद्यालय का नाम इत्यादि।
2. अपने 'पंजीकरण संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
3. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत 'Junior Hindi Translator, Junior Translator, and Senior Hindi Translator Examination, 2022' सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
4. क्रम सं.-1 से 14 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण के किसी भी ब्योरे में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने डैशबोर्ड के बाएं हाथ के कोने में प्रदान की गई 'Modify Registration' टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपर्युक्त संशोधन कर लें।
5. क्रम संख्या-15: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए। (कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 13 का संदर्भ लें)।
6. क्रम संख्या-16.1 से 16.6: यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है (विज्ञप्ति के पैरा 6.4 से पैरा 6.7 तक का संदर्भ लें)।
7. क्रम संख्या-17.1: यदि आप प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित हैं तो "Yes" पर क्लिक करें।

8. क्रम संख्या-17.2 से 17.5: यदि आप परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-8 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
9. क्रम संख्या-18: यदि आप आयु-सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, तो आयु-छूट की उपयुक्त श्रेणी का चयन करें (कृपया विज्ञप्ति के पैरा 6.2 का संदर्भ लें)।
10. क्रम संख्या-19: कृपया अपनी उच्चतम योग्यता इंगित करें।
11. क्रम संख्या 20 से 23: शैक्षिक योग्यता और अनुभव, यदि हो, का विवरण भरें (कृपया विज्ञप्ति के पैरा 9 का संदर्भ लें)।
12. क्रम संख्या- 24: कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति का पैरा संख्या-21 देखें और तदनुसार भरें।
13. क्रम संख्या- 25 से 27: वर्तमान तथा स्थायी पता से संबंधित सूचना एक बारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी ।
14. कृपया अपनी नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (अर्थात परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी न हो) अपलोड करें, जैसा कि ऊपर क्र.सं. 1क पर विनिर्दिष्ट किया गया है। धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-XV में दिए गए हैं। अभ्यर्थी उसका संदर्भ ले सकते हैं ।
15. उपर्युक्त क्र.सं.1ख के निर्देशानुसार अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।
16. क्रम संख्या-28: ऊपर अपलोड की गई फोटो परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि अपलोड की गयी फोटो परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी नहीं है तो 'Yes' पर क्लिक करें।
17. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि स्वीकार है तो "I agree" चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।
18. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। यदि आप किसी भी प्रविष्टि में संशोधन करना चाहते हैं तो 'Edit/ Modify' बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपयुक्त संशोधन कर लें। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही भरी गई है तो, जानकारी का पूर्वावलोकन तथा सत्यापन करें और आवेदन जमा कर दें।
19. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
20. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रुपये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन किया जा सकता है।
21. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, आपको ऑनलाइन आवेदन से संबन्धित शिकायतों, यदि कोई हो, को संबोधित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र का प्रिंट-आउट देना होगा।

Junior Hindi Translator, Junior Translator and Senior Hindi Translator Examination, 2022

Instructions

PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE NAME
2. New / Changed Name:	
3. Father's Name:	SAMPLE FATHER NAME
4. Mother's Name:	SAMPLE MOTHER NAME
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):	02/01/1999
6. Age as on 01/01/2022:	22 11
7. Gender:	Male
8. Category:	UR
9. Whether Person with Disability (PwD)? :	No
9.1. If Yes, Type of Disability:	

अनुबंध-IVक (2/4)

10. Nationality:	Citizen of India
11. Mark of Visible Identification:	MOLE ON RIGHT CHEEK
12. Matriculation (10 th Class) Examination Board:	Central Board of Secondary Education (CBSE)
13. Matriculation (10 th Class) Roll No.:	301739
14. Matriculation (10 th Class) Year of Passing:	2013
15. Preference of Examination Centres:*	NR-Delhi(2201) ▼ NR-Jaipur(2405) ▼ NR-Bikaner(2404) ▼
16.1. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? :*	☐ Yes ☒ No
16.2. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY):	
16.3. Date of Discharge/ Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY):	
16.4. Length of Service in the Armed Forces:	
16.5. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Servicemen (ESM)	☐ Yes ☐ No
Please refer to the Notice of Examination, Para-5.5	
16.6. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):	

अनुबंध-IVक (3/4)

17.1. Whether suffering from Cerebral-Palsy. ☐ Yes ☐ No

17.2. Do you have a physical limitation to write and Scribe is required to write on your behalf (Certificate to this effect from the Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per Notice of the Examination, would be required at the time of Examination)? ☐ Yes ☐ No

17.3. Whether scribe is required? ☐ Yes ☐ No
Please see Para - 3 of the Notice

17.4. Will you make your own arrangement of Scribe? ☐ Yes ☐ No

17.5. If Scribe is to be arranged by SSC, then indicate medium:

18. Whether seeking Age Relaxation? * ☐ Yes ☒ No

18.1 If Yes, Age Relaxation code:
Please see Para - 6.2 of the Notice

19. Highest Educational Qualification: *

20. Graduation: *

University	Name of Degree	Roll No	Subjects	Year of Passing	Medium of Examination	Percentage	CGPA
UNIVERSI	BA (Hons)(6)	UG1234	ENGLISH	2021	English	75	

21. Post Graduation: * ☐ Passed ☒ Appearing

University	Name of Degree	Roll No	Subjects	Year of Passing	Medium of Examination	Percentage	CGPA
UNIVERSI	MA (25)		ENGLISH	--Select Year--	English		

22. Translation Course(Hindi to English & vice versa): * ☐ Passed ☒ Appearing/ Possess Experience

University/Institute	Duration of the course (in months)	Roll No	Year of Passing	Percentage	CGPA
			--Select Year--		

23. Experience of Translation Work: * ☐ Yes ☒ No

From (DD/MM/YYYY)	To (DD/MM/YYYY)	Name of Office	Department / Ministry	Whether Central Govt. / State Govt. / Govt. of India Undertaking	Nature of Work	Actions
				--Select--		

24. Do you want to make your personal Information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM.No.39920/1/2016-Estt.(P) dated 21/06/2016? * ☐ Yes ☒ No
Please see Para - 2.1 of the Notice

अनुबंध-IVक (4/4)

25. Correspondence Address: Sample Permanent Address
State: Punjab
District: Patiala
Pin: 140401
26. Permanent Address: Sample Permanent Address
State: Punjab
Pin: 140401
Mobile Number: 8111111111
Email: sample123@gmail.com
27. Contact Details for Other Nationals:

Photograph and Signature

Upload a photo taken on 20-April-2022

or later*

Allowed File Size: 20 KB to 50 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 3.5 cm (width) x 4.5

cm (height)

[Choose File](#) | SamplePhoto..hwtdate.jpg



Upload Signature *

Allowed File Size: 10 KB to 20 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0

cm (height)

[Choose File](#) | SampleSignature.jpg

Signature

28. Whether the photograph has been taken on or after 20-April-2022? ☒ Yes ☐ No

Declaration

- I have read the Notice of the Examination, and accept all the terms & conditions of the Notice of the Examination.
- I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the Notice of Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/ terminated. I am willing to serve anywhere in India.
- I declare that the Photograph uploaded in Application form is not more than 3 months old.

☒ I Agree



Try Another

JMCJF

[Preview](#)

[Reset](#)

[Close](#)

अनुबंध-V

सेवारत रक्षा कर्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) _____
(रैंक) _____
(नाम) _____ (दिनांक) _____ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की
विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान:

कार्यालय की मुहर:

दिनांक:

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं अनुक्रमांक परीक्षा,
20..... के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको कार्यालय मेंपद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको कार्यालय मेंपद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा।

हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

दिनांक:

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:

कार्यमुक्ति की तिथि:

अंतिम इकाई / कोर:

मोबाइल नंबर:

ईमेल आईडी:.....

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ पुत्र/पुत्री _____ निवासी ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ के _____ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबन्धित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैं:-

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 _____

@संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 _____

@संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 _____

@संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 _____

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 ; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 , अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986, और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित।]

@संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

@अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

@संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

@संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

@संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

@संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

@संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

@संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

@संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

@संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

@संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

@संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

@संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
 @संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991
 @संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991
 @अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002
 @संविधान(अनुसूचितजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
 @संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
 @संविधान(अनुसूचितजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

%2. यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ के पिता/ माता श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो _____ दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ में रहता है ।

हस्ताक्षर _____

**पदनाम _____

स्थान _____

दिनांक _____

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र*

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/+सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त.

+(प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट पद से नीचे के नहीं।)

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

(v) एडमिनिस्ट्रेटर/ एडमिनिस्ट्रेटर के सचिव/ विकास प्राधिकारी (लक्षद्वीप)।

अनुबंध-VIII

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ सुपुत्र/सुपुत्री _____
ग्राम/कस्बा _____ जिला/संभाग _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ समुदाय से
संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं _____
दिनांक _____ के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कु० _____ तथा/या उनका परिवार सामान्यतः _____ राज्य/ संघ राज्य
क्षेत्र के _____ जिला/संभाग में रहता/रहते हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन
सं 36012/ 22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993, कार्यालय ज्ञापन सं 36033/3/2004-स्था (रेस),
दिनांक 09.03.2004, कार्यालय ज्ञापन सं 36033/3/2004-स्था (रेस), दिनांक 14.10.2008 और
कार्यालय ज्ञापन सं 36033/1/2013-स्था (रेस), दिनांक 27.05.2013**की अनुसूची के कॉलम 3 में
उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांक:

हस्ताक्षर-----

मुहर:

पदनाम-----

*- प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्योरों का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित है।

** - समय समय पर यथा संशोधित

\$- अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति जारी करने वाले के समान होगी।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या _____

दिनांक _____

वर्ष लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____
पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ स्थायी निवासी _____ गाँव/गली
_____ डाकघर _____ जिला _____ राज्य/संघ
राज्य-क्षेत्र _____ पिन कोड _____ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की
गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष के लिए उनकी /उनके
'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के
पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति*** नहीं है :

I.5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;

II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध _____ जाति से है
जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता
प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम.....

अभ्यर्थी के हाल ही का
पासपोर्ट आकार
अनुप्रमाणित फोटोग्राफ

* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय ।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहनके साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है ।

प्रारूप-V

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री
-----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष
पुरुष/ महिला----- पंजीकरण संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर
-----जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई
है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता का है

(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में ----- निदान किया गया है ।

(ग) वे दिशानिर्देशों ----- (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार
अपने ----- (शारीरिक अंग) (उल्लेख करें) के संबंध में ----- %(अंकों में) ----- %
(शब्दों में) स्थायी गतिविषयक दिव्यांगता/ बौनापन/ नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

प्रारूप-VI

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(बहु निःशक्तता संबंधी मामलों में)
[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का
पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित
फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -
-----जन्म तिथि ----- (दि/मा/व) आयु ----- वर्ष
पुरुष/ महिला----- पंजीकरण संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर
-----जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई
है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता का है । उनकी शारीरिक निःशक्तता/ दिव्यांगता का
दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित
इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त
निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता (%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	नेत्रहीनता	#		
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण दिव्यांगता	£		
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			

13.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक बीमारी			
16.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
17.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
18.	पार्किन्सन बीमारी			
19.	हेमोफिलिया			
20.	थेलेसेमिया			
21.	सिकल सेल डिजीज़			

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित है:

अंको में प्रतिशत

शब्दों में प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी/ गैर-प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्ष माह के पश्चात पुनः निर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख) (माह).....(वर्ष) तक मान्य रहेगा ।

@ उदाहरणतः बाएं/ दाएं/ दोनों बाहें/ टांगे

उदाहरणतः एक आँख

£ उदाहरणतः बाएं/ दाएं/ दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

प्रारूप-VII

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

[नियम 18(1) देखें]

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -
-----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष
पुरुष/ महिला----- पंजीकरण संख्या -----, जोकि मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली -----
डाकघर -----जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर
चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि वे
..... निशक्तता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निःशक्तता/ दिव्यांगता का दिशानिर्देशों
..... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित
निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के
समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			

12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			
17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल डिजीज़			

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्ष माह के पश्चात पुनः निर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख) (माह) (वर्ष) तक मान्य रहेगा ।

@- उदाहरणतः बाएं/ दाएं/ दोनों बाहें/ टांगे

#- उदाहरणतः एक आँख/ दोनों आँखें

€- उदाहरणतः बाएं/ दाएं/ दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मुहर)

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
अनुवाद में प्रमाणपत्र	03
अनुवाद में डिप्लोमा	04
बी.ए.	05
बी.ए.(आनर्स)	06
बी. कॉम	07
बी. कॉम (आनर्स)	08
बी.एससी.	09
बी.एससी. (आनर्स)	10
बी.एड.	11
एल.एल.बी.	12
बी.ई.	13
बी.टैक.	14
ए.एम.आई.ई. (भाग क एवं भाग ख)	15
बी.एस.सी. (इंजी)	16
बी.सी.ए.	17
बी.बी.ए.	18
रक्षा (भारतीय सेना,वायु सेना,नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी.फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी. ए.	23
पी.जी. डिप्लोमा	24
एम.ए.	25
एम.कॉम.	26
एम.एससी.	27
एम.एड.	28
एल.एल.एम	29
एम. ई.	30
एम. टैक	31
एम.एससी. (इंजी।)	32
एम.सी.ए	33
एम.बी.ए	34
अन्य	35

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में कनिष्ठ अनुवादक के पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक व चिकित्सीय मानक

1. शारीरिक दक्षता परीक्षा

(i) शारीरिक दक्षता परीक्षाओं के लिए मानदंडों को इस अधिसूचना की 'अनुसूची-I' के रूप में रखा गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षाओं का आयोजन मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क द्वारा नियुक्त अधिकारी मंडल द्वारा जीआरईएफ केंद्र अथवा यथा-लागू अपने-अपने भर्ती केंद्र में किया जाएगा।

2. **शारीरिक मापदंड:** जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन) में भर्ती के लिए कार्मिकों के शारीरिक मापदंडों की क्षेत्र-वार अपेक्षाओं का इस अधिसूचना की "अनुसूची-II" में उल्लेख किया गया है।

3. (क) **चिकित्सा मानक :** अत्यन्त सुदूरवर्ती क्षेत्रों, उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों और पहाड़ी भू-भाग के कठिन क्षेत्रों इत्यादि सहित उनके कार्य-स्वरूप, कर्तव्यों की सूची और प्रत्याशित तैनाती के अनुसार जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन) में उनकी सेवा के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट चिकित्सा मानक अपेक्षित हैं। चिकित्सा मानकों को इस अधिसूचना की 'अनुसूची-III' में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) **चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच:** प्रत्येक अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की इस अधिसूचना में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच की जाएगी। यह चिकित्सा परीक्षा, मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क द्वारा मनोनीत चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के आयोजन के लिए अनुसरण किए जाने वाले दिशानिर्देशों और अभ्यर्थियों को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की कार्य-प्रणाली का उत्तरवर्ती उप पैरा में उल्लेख किया गया है :

(i) सभी दस्तावेजों की विस्तृत रूप से जांच करने के पश्चात, भर्ती कर रहे अनुभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा कागजात (जिसमें पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ विधिवत चिपका हुआ हो) को जीआरईएफ केंद्र सहित संबंधित भर्ती केंद्र के चिकित्सा बोर्ड को सौंपे जाएंगे तथा अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रिपोर्ट करेंगे। अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा जीआरईएफ केंद्र सहित प्रत्येक भर्ती केंद्र में दो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

(ii) भर्ती चिकित्सा बोर्ड इस अधिसूचना में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों की चिकित्सा फिटनेस की जांच करेगा।

(iii) चिकित्सीय रूप से 'फिट' अथवा 'अनफिट' पाए गए अभ्यर्थियों को उनके चिकित्सा परिणाम की खुद चिकित्सा बोर्ड द्वारा सूचना दी जाएगी ताकि अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति स्पष्ट हो सके।

(iv) जहां चिकित्सा अधिकारी को विशेषज्ञ की राय की जरूरत है तो संबंधित भर्ती केंद्र अथवा जीआरईएफ केंद्र के निकटवर्ती सैन्य अस्पताल या किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को मामला

भेजा जाएगा। संबंधित विशेषज्ञ के ओ.पी.डी. के दिन के आधार पर, चिकित्सक द्वारा सैन्य अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा के आयोजन और उत्तरवर्ती कार्यविधि के बारे में अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से हिदायत दी जाएगी।

(v) अभ्यर्थियों के 'फिट' अथवा 'अनफिट' के संबंध में चिकित्सा कागजात, चिकित्सा परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात अधिमानतः चिकित्सा परीक्षा वाले दिन ही एमआई रुम द्वारा भर्ती करने वाले अनुभाग/मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम को दे दिए जाएंगे, लेकिन यह परीक्षा की तारीख से 5 दिन के अंदर दे दिए जाएं।

(vi) सैन्य अस्पतालों अथवा किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को भेजे गए मामलों के बारे में ब्यौरों की चिकित्सा बोर्ड द्वारा भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-ही-साथ सूचना दी जाएगी।

(vii) संबंधित विशेषज्ञ द्वारा विधिवत समीक्षा किए गए और चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा लौटाए गए संदर्भित मामलों का रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा विशेषज्ञ की टिप्पणी के अनुसार तत्परतापूर्वक निपटान किया जाएगा और रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस संबंध में भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-साथ सूचना भेजी जाएगी।

(viii) अस्थायी रूप से 'अनफिट'- अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।

(क) चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट' - चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के पास भर्ती केंद्र चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है तथा ऐसी अपील भर्ती केंद्र के चिकित्सा बोर्ड द्वारा आरम्भ में अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए अपील के साथ 05(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए तथा उन्हें समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सैन्य अस्पताल/सर्विस अस्पताल के संबंधित विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः चिकित्सा परीक्षा के लिए शुल्क के रूप में 40/-रुपए जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा के दौरान पुनः 'अनफिट' पाया जाता है तो उन्हें पुनः चिकित्सा परीक्षा का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। पुनः चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशन की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर प्रवेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी।

(ख) शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से अनफिट- शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से उनकी नियोग्यता अथवा कमियों के बारे में सूचना दी जाएगी। शारीरिक मापदंडों का लिखित में विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की, यदि जीआरईएफकेंद्र में चिकित्सा परीक्षा ली जा रही है तो कमाण्डेंट अथवा भर्ती प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में और यदि यह चिकित्सा परीक्षा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा ली जा रही है तो अधिकारी मंडल की उपस्थिति में, चिकित्सा परीक्षा के 24 घंटे के भीतर एक बार दोबारा मापदंड परीक्षा ली जाएगी। केवल वजन अथवा सीने की माप के कारण शारीरिक मापदंडों में कमी के लिए अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को वांछित मानक प्राप्त करने के लिए यथोचित समय दिया जाएगा, लेकिन यह अवधि आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से 2 माह से अधिक नहीं होगी। पुनः मापदंड परीक्षा के पश्चात् यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशन की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर प्रवेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी।

(ix) स्थायी रूप से 'अनफिट' - स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।

(क) चिकित्सा कारणों से स्थायी रूप से 'अनफिट' - चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल द्वारा लिखित रूप से उनकी नियोग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के पास, उन्हें स्थायी रूप से अनफिट घोषित करने की 60 दिन की अवधि के भीतर वर्तमान चिकित्सा परीक्षा के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। ऐसे मामले में, अभ्यर्थियों को पुनः चिकित्सा परीक्षा की अपील के साथ जीआरईएफकेंद्र अथवा भर्ती जोन में 5(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए। चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सर्विस अस्पताल भेजा जाएगा। सर्विस विशेषज्ञ द्वारा पुनः चिकित्सा करने से पूर्व, ऐसे अभ्यर्थियों को भारतीय स्टेट बैंक में स्थित सरकारी खजाने में 40/-रुपए की राशि जमा करने की आवश्यकता होगी। ऐसे सभी मामले, जहां संबंधित विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा करने पर अभ्यर्थियों को दोबारा 'अनफिट' घोषित किया जाता है, उन्हें पुनः चिकित्सा परीक्षा/ समीक्षा के लिए कोई ओर अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। पुनः चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशन की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से

छः माह की अवधि के भीतर प्रवेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी।

(ख) **शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनफिट'**- जिन अभ्यर्थियों को कद के संबंध में शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किया गया है, उन मामलों में शारीरिक मापन के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तथापि शारीरिक मापन का विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा कमाण्डेंट, जीआरईएफ केंद्र अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम (एम.आर.आर.टी.), जैसा भी मामला हो, की उपस्थिति में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसी दिन एक बार दोबारा मापदंड जांच की जाएगी।

(x) **दृष्टि संबंधी मापदंड-** दृष्टि संबंधी तीक्ष्णता प्रत्येक आंख की 6/12 अथवा दाहिनी आंख की 6/6 और बांयी आंख की 6/24 से कम नहीं होनी चाहिए। दृष्टि संबंधी जांच के दौरान सुधारक चश्मे का उपयोग करने की अनुमति है। सुधार की गई दृष्टि के मामले में, सहायता रहित दृष्टि प्रत्येक आंख में 6/60 से नीचे नहीं होगी और सुधार करने पर यह वही होगी, जैसा कि अन्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है।

(XI) **शल्य चिकित्सा-** यदि किसी अभ्यर्थी ने हाल ही में उदर- संबंधी शल्य- चिकित्सा कराई है (उदाहरणतः हर्निया, मांसपेशी दोष, नेफ्रोलिथोलॉमी, कॉललिथियासिस, कॉलसिस्टोटांमी), तो वह मौजूदा नियमों के अनुसार एक वर्ष के लिए 'अनफिट' किए जाने का दायी होगा। तथापि स्थायी रूप से 'अनफिट' मामलों के लिए चिकित्सा अपील करने का उपबंध यथावत है अर्थात् 2 माह के भीतर। ऐसे मामलों में उन्हीं मानदंडों का अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसा कि उपरोक्त आंख की शल्य चिकित्सा मामलों में किया जाता है।

(ग) **चिकित्सा योग्यता :** इन नियमों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, केवल वे लोग ही जो चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाते हैं वे इन नियमों के प्रावधानों के तहत नियुक्ति के पात्र होंगे।

(i) सीमा सड़क संगठन पूरे भारत में स्थानांतरण दायित्व सहित एक केंद्रीय सरकारी संगठन है। सीमा सड़क संगठन केंद्रीय सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित है। तथापि, सेना अधिनियम-1950 के कतिपय प्रावधान बल के सदस्यों पर भी लागू होते हैं।

(ii) कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम चयन चिकित्सा योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन होगा। निदेशालय द्वारा गठित विस्तृत मेडिकल बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयन किए गए अभ्यर्थियों की चिकित्सा योग्यता परीक्षा लेगा।

(iii) चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय रूप से 'योग्य' घोषित अभ्यर्थियों को अन्य सभी मानदंडों के पूरा करने के अध्यधीन सामान्य रिजर्व अभियंता बल (सी.स.ब) में शामिल किया जाएगा और उन्हें सामान्य रिजर्व अभियंता केंद्र, दीघी शिविर, पुणे-15 में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेना होगा।

(iv) जीआरईएफ केंद्र में प्रशिक्षण देने के बाद, उन्हें उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भारत में कहीं भी तैनात किया जाएगा ।

4. **अभ्यर्थिता रद्द करना:** यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा के लिए रिपोर्ट करने की तिथि पर अनुपस्थित होता है या चिकित्सा परीक्षा के दौरान या निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा समीक्षा के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थिता स्वतः रद्द हो जाएगी । इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अभ्यावेदन/ अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

5. **नियमों में छूट की शक्ति:** जहां केंद्र सरकार का मानना है कि ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त है, तो वह आदेश द्वारा और लिखित में कारणों को दर्ज करके व्यक्तियों को किसी भी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है ।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों की व्यक्तियों के लिए कोई भी किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ।

अनुसूची-1

शारीरिक दक्षता परीक्षा (समूह 'ख' अराजपत्रित पदों के लिए)			
क्रम संख्या	कार्यकलाप	अधिकतम अंक	उपलब्ध समय
1	एक मील की दौड़	केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।	10मिनट
नोट -(i) एक मील की दौड़ निर्धारित समय में पूरी की जानी है ।			
(ii) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जीआरईएफ केंद्र, पुणे में आयोजित की जाने वाली एक मील की दौड़ की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है तत्पश्चात उनकी चिकित्सा परीक्षा की जाएगी ।			

कार्मिकों के क्षेत्र-वार शारीरिक मानक

क्रम सं.	क्षेत्र	राज्य /क्षेत्र सम्मिलित	शारीरिक मानक		
			न्यूनतम ऊंचाई	सीना	न्यूनतम वजन
क	पश्चिमी हिमालय	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश व पंजाब के मध्य दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र एवं मुकेरियन होशियार पुर की सड़क के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र, गढ़शंकर, रोपड़ व चंडीगढ़), उत्तराखंड	158 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.
ख	पूर्वी हिमालय क्षेत्र	सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणीपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र (दार्जिलिंग और कलिंगपोंग जिले तथा अण्डबार निकोबार)	152 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.
ग	पश्चिम के मैदानी क्षेत्र	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश	162.5 सेमी	न्यूनतम 76 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
घ	पूर्वी मैदानी क्षेत्र	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल व उड़ीसा और झारखंड	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
ड.	मध्य क्षेत्र	गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दादर नगर और हवेली, दमन और दीव तथा छत्तीसगढ़	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का	50 किग्रा.

				विस्तार	
च	दक्षिणी क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोवा और पुदुचेरी, तेलंगाना	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
छ	सेवारत/पूर्व जीआरईएफ कार्मिकों के पुत्रों के लिए छूट		2 सेमी	1 सेमी	2 किग्रा.
ज	डीडी मामलों में छूट (यह अपने स्वयं के पुत्र, दत्तक पुत्र के लिए लागू होगा परंतु किसी अन्य संबंधी के लिए लागू नहीं होगा)		2 सेमी	1 सेमी	2 किग्रा.
झ	गोरखा (भारतीय निवासी)		152 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5किग्रा.

जीआरईएफ के लिए भर्ती के चिकित्सा मानक

सामान्य

1. प्रत्येक अभ्यर्थी को पर्याप्त रूप से बुद्धिमान एवं स्नायु संबंधी अस्थिरता से मुक्त होना चाहिए और उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उसकी शारीरिक संरचना संबंधी या अधिग्रहित विकलांगता नहीं होनी चाहिए जिससे भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में उसे कर्तव्यों, विशेषतः ऊचाई पर और कठिन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उसे अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।

सामान्य परीक्षा

2. सभी मामलों में, चिकित्सा परीक्षा के दौरान यह नितांत आवश्यक है कि अभ्यर्थी के सभी वस्त्र उतरवाए जाएं। इस संबंध में गोपनीयता और सभ्यता का ध्यान रखा जाए। आंशिक रूप से वस्त्र उतरवाना ही पर्याप्त नहीं है। गुप्तांगों की परीक्षा किए जाने के समय को छोड़कर अंतःवस्त्र पहनने की अनुमति दी जा सकती है। शरीर के प्रत्येक भाग की परीक्षा की जानी चाहिए और यदि अभ्यर्थी समझाने के बाद भी यह स्वीकार नहीं करता है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। केवल बाजू अर्थात् कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपत्तिजनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के किसी अन्य भाग पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

शारीरिक फिटनेस का दायित्व

3. जांचकर्ता चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक फिटनेस, उनके शारीरिक विकास की संभावना और उनके पहचान चिह्न की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड नामांकन प्रपत्र में उन छोटी कमियों को भी दर्ज करेगा जो अभ्यर्थी को खारिज करने के लिए अपर्याप्त हैं। यदि अभ्यर्थी उपयुक्त (फिट) पाया जाता है तो बोर्ड नामांकन प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टि करेगा और नामांकन प्रपत्र में फिट-श्रेणी जीआरईएफ लिखेगा और नामांकन अधिकारीको लौटा देगा। नामांकन प्रपत्र पर चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर इस घोषणा पत्र के रूप में स्वीकार किए जाएंगे कि उसने मौजूदा निर्देशों के अनुसार उक्त अभ्यर्थी की व्यक्तिगत रूप से जांच की है और जो दोष उसने नामांकन प्रपत्र में नोट किए हैं, अभ्यर्थी में उन दोषों को छोड़कर अन्य कोई दोष नहीं हैं।

मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/मेड/2ए

4. यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि सैनिक की सेवा निवृत्ति के पश्चात निश्चिन्ता पेंशन के दावों से जुड़ा हुआ है। चिकित्सा मर्दानों को जीआरईएफ/मेड/2ए का सारणी संख्या 1 चिकित्सा बोर्ड जीआरईएफ/मेड/2ए पूरा करेगा।
5. इन दस्तावेजों को तैयार करने और उनका रख-रखाव करने में संबंधित अधिकारियों द्वारा विफल रहने और उनमें प्रविष्टियों की गलती या अपर्याप्तता होने से अत्यधिक देरी हो सकती है जिससे भर्ती का खर्च बढ़ेगा और भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के साथ गम्भीर अन्याय होगा। अतः चिकित्सा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए कि परीक्षा के दौरान सभी आवश्यक प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक और सटीकता से की गई हैं।
6. व्यक्ति की भविष्य में पहचान किए जाने हेतु इस प्रयोजनार्थ दिए गए स्थान में पहचान चिन्ह और छोटी कमियों को संक्षिप्त रूप से और स्पष्टतः नोट किया जाना चाहिए। किसी भी ऐसी कमियों पर सदैव विशेष ध्यान देना चाहिए जो भविष्य में पेंशन के संभावित दावों पर निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं।

जीआरईएफ में अभ्यर्थियों की चिकित्सीय निरीक्षण को अभिशासित करने वाले नियम

अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु

7. अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु। अभ्यर्थियों के निरीक्षण में ध्यान दिए जाने वाले मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:-

- क. कि अभ्यर्थी पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है (इस संबंध में किसी भी कमी पर परीक्षण के दौरान ध्यान दिया जाए)
- ख. कि उसका शारीरिक गठन ठीक है और उसे कान, नाक और गले का कोई रोग नहीं है।
- ग. कि उसकी दोनों आंखों की दृष्टि अपेक्षित मानकों के अनुरूप है, उसकी आंखें चमकदार, साफ हैं और उनमें कोई भ्रंशापन, नाइस्टेगेमस या कोई अपसामान्यता नहीं है। आंखों की पुतलियों को सभी दिशाओं में पूर्ण और मुक्त रूप से घूमना चाहिए।
- घ. कि वह बिना किसी रुकावट के बात-चीत कर सकता है।
- ङ. कि वह ग्रंथियों की सूजन से पीड़ित नहीं है।
- च. कि उसका सीना सुगठित है और कि उसका हृदय और फेफड़े स्वस्थ हैं।
- छ. कि उसके अंग सुगठित और सुविकसित हैं।
- ज. कि उसके सभी जोड़ मुक्त रूप से अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।
- झ. कि उसके पैर और पैरों की अंगुलियां सुसंरचित हैं।
- ञ. कि उसके कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं है।
- ट. कि उसके किसी पिछली पुरानी बीमारी के ऐसे कोई लक्षण नहीं हैं जो किसी शारीरिक विकृति को इंगित करते हों।
- ठ. कि उसके पर्याप्त संख्या में स्वस्थ दांत हैं और वह सक्षमता से चबा सकता है।
- ड. कि उसको जननांग/मूत्र-मार्ग संबंधी कोई रोग नहीं है।

स्थायी रूप से अयोग्य घोषित करने के आधार

8. निम्नलिखित में से किसी भी दशा को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया जाएगा:-

- क. सामान्य रूप से विकलांग शारीरिक संरचना एवं दुर्बलता (18 से कम बीएमआई)
- ख. असामान्य चाल
- ग. असामान्य अंग-विन्यास (काईपोसिस, सोलियोसिस या लाईसिस)
- घ. सीने की समग्र रूप से शारीरिक विरूपता (पिजन चेस्ट, बैरल के आकार का सीना, पैक्टस ऐक्सकेवेटम, हैरिसन सल्कस एवं जोड़ (मुड़ी हुई टांगें, मुड़े हुए घुटने, मुड़े हुए पैर, सपाट पैर)
- ङ. दोषपूर्ण बुद्धिलब्धि
- च. बधिरता
- छ. हकलाना
- ज. मानसिक एवं तंत्रिका संबंधी अस्थिरता जिसमें कपकपी तथा हथेली एवं तलुओं में अत्यधिक पसीना आता है (पल्स रेट 100/मिनट से अधिक)
- झ. यौन संचारित रोग
- ञ. किसी भी स्तर का भैंगापन अथवा पुतलियों का असामान्य रूप से घूमना
- ट. वर्णांधता के मामले
- ठ. व्यक्ति की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि को प्रभावित करने वाला कार्निअल ओपेसिटिस
- ड. कान के पर्दे में छेद
- ढ. कानों से पीप बहने का दीर्घकालिक रोग/मध्यकर्ण शोध/कर्णमूल शोथिका
- ण. दांतों का उस हद तक टूटना या सड़ना कि ठीक से चबाने में बाधा उत्पन्न होती हो। 14 से कम दांत
- त. फेफड़ों का दीर्घकालिक संक्रमण
- थ. अंतःस्त्रावी विकार
- द. हृदय की अपसामान्य ध्वनि या उच्च रक्त चाप (रक्त चाप > 140/95 mm Hg)
- ध. अधिक स्तर का अल्प दृष्टि दोष और अपवर्तक दोष को सुधारने के लिए कॉर्निअल सर्जरी के मामले
- न. प्रत्यारोपण से ठीक किया गया फ्रैक्चर या फ्रैक्चर से प्रभावित जोड़ों का अस्थिसमेकन
- प. कोई अंग विच्छेदन जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती हो
- फ. केवल बाजू अर्थात् कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थायी टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपति जनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के लिए आधार

9. अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के निम्नलिखित आधार हैं:-

- क. प्टेरिजियम
- ख. नेत्र शोध
- ग. दोष पूर्ण दृष्टि (चश्मे से ठीक करने पर दोनों आंखों की 6/6 स्वीकार्य होगी)
- घ. ट्रेकोमा ग्रेड-III
- ङ. विपथित नासिका झिल्ली
- च. गलसुओ की दीर्घ कालिक सूजन
- छ. कुछेक दांतों में सड़न (डैंचर से ठीक करने पर स्वीकार्य है)
- ज. पिट्टीएसिस वेर्सिकॉलर
- झ. टीनियार्क्रोसिस, खुजली, एग्जिमा आदि
- ञ. प्लेंटर मस्से
- ट. हाइड्रोसिल, हर्निया, वेरीकोसील
- ठ. वेरीकोस वेंस
- ड. फिमोसिस, गुदा में फिसर या व्रण, बवासीर
- ढ. श्वसन नली में अत्यधिक संक्रमण
- ण. गाइनेकोमस्टिया
- त. रक्त क्षीणता
- थ. हैपेटोस्प्लीनोमैगाली
- द. 30 से ऊपर बीएमआई (तीन महीने के भीतर बीएमआई 30 से नीचे लाए जाने पर स्वीकार्य होगा)

छोटी कमियाँ वाले अभ्यर्थियों की स्वीकार्यता

10. निम्नलिखित दशाओं को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को स्वीकार किया जा सकता है:-

- क. थोड़े सपाट पैर परंतु पैरों की अंगुलियां लचीली और सुगठित हों।
- ख. थोड़े मुड़े हुए घुटने (इंटर मेलोलिक दूरी 5 सेमी.)
- ग. थोड़े मुड़ी टांगें (इंटर कोंडाइलर दूरी 7 सेमी.)
- घ. सेफेना वेरिक्स का कम स्तर
- ङ. वेरीकोसिली का कम स्तर या अनडिसेंडेड वृषण (इंगुइनल क्षेत्र में स्थिर नहीं)
- च. कानों के पर्दे में छेद जिसका उपचार कराकर ठीक कर लिया गया है।
- छ. बिना किसी विकार के उपचारित ट्रेकोमा
- ज. थोड़ा हकलाना
- झ. हाइपरहाइड्रोसिस का कम स्तर
- ञ. फिमोसिस/हाइड्रोसिस का कम स्तर

- ट. कानों में छिद्र जिसका उपचार करके बंद कर दिया गया हो और जिसका स्वस्थ दाग रह गया हो (टाइम्पेनोप्लास्टी की जा चुकी हो।)
- ठ. टांगों की थोड़ी वक्रता
- ड. पैरों की अंगुलियों का कम स्तर का हैमर
- ढ. वेरीसिस का कम स्तर
- ण. टिनिआ वेर्सिकोलर
- त. विपथित नासिका झिल्ली (उपचार के बाद स्वीकार्य)
- थ. ऐसा कोई अन्य विकार जो भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में अभ्यर्थी की कार्य-क्षमता को भविष्य में प्रभावित न करता हो बशर्ते कि अभ्यर्थी सभी संदर्भों में निर्धारित मानकों को पूरा करता हो। यदि कोई विकार कम स्तर का हो तो उसे दस्तावेज में अवश्य दर्ज किया जाए।

अभ्यर्थी से इस बात का भी वचन-पत्र लिया जाए कि मिर्गी, कुष्ठ, मधुमेह तपेदिक या एचआईवी संक्रमण से संबंधित उसका कोई पूर्व इतिहास नहीं है। पूर्व के उपचारित ऑपरेशनों को मेडिकल केस शीट में नोट किया जाएगा।

उपर्युक्त छूट केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अनुमत्य है जो मापों के निर्धारित मानक पूरा करते हों।

किसी अनफिट होने के मामले में उच्चतर समीक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए समय सीमा

11. (क) स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के सभी मामलों की उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाए और अयोग्य घोषित किए जाने के समय से एक महीने की अवधि के भीतर उसे अयोग्य/ योग्य घोषित किया जाना चाहिए।
- (ख) उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के सभी मामलों की, अयोग्य घोषित किए जाने के समय से तीन महीने (90 दिन) के भीतर उसे योग्य/ अयोग्य घोषित करने के लिए समीक्षा की जाए।
12. ऐसे सभी मामलों में जिनमें अभ्यर्थी किसी अल्प दोष से पीड़ित हो और उसे स्वीकार किया जाता है, चिकित्सा बोर्ड स्वयं को पूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा कि उक्त दोष किसी भी तरह बी.आर.ओ में अधीनस्थ के रूप में कार्य करने में अभ्यर्थी की कार्य क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा।
13. जहां पैरा 10 में उल्लिखित छोटी कमियों के अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, वह कमी अनिवार्य रूप से मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईफ/ मेड/ 2ए में नोट किया जाए।
14. साधारण प्रकृति की मामूली स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे-साधारण घावों, जूतों के काटने, सामान्य सर्दी-खांसी और इसी तरह की अन्य छोटी-मोटी बीमारियों जोकि प्रायः कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं, से पीड़ित लोगों को स्वीकार किया जा सकता है। इस तरह की भर्ती को स्वीकार करने

से पहले मेडिकल बोर्ड खुद को पूरी तरह संतुष्ट करेगा कि अंतरंग (इनडोर) उपचार के बिना रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता है। सामान्यतः, जब तक अभ्यर्थी के लिए कुछेक अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, जोकि आसानी से पूरी नहीं की जा सकती हैं, उसे सलाह दी जानी चाहिए कि वह खुद का इलाज करवाए और फिर से आए। यदि ऐसे अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, जोकि किसी भी प्रकृति के मामूली रोग से पीड़ित हैं, तो मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/ मेड/ 2ए में रोग से संबंधित कोई भी प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है।

15. अपेक्षित चिकित्सीय मानकों को पूरा नहीं करने के कारण अस्वीकृति के सभी मामलों में मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

फोटोग्राफ के नमूने
स्वीकृत फोटोग्राफ



अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने
बहुत नजदीक



धुंधले फोटोग्राफ



टोपी के साथ



अत्यधिक रंगीन



उल्टी फोटो



अत्यधिक गहरा रंग



धूप वाले चश्मे के साथ



तिरछी दृश्यमान फोटो



बहुत छोटी



चश्मे के साथ

